संख्या:98/2018/1984जेएल/22-3-18-100(104)/2018

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 26 सितम्बर, 2018***

विषय: केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध 05 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-34379/सामा-1(3)/बं0स्था0मे0परि0/2018, दिनांक 24-09-2018 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध निम्नलिखित 05 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	जकरिया उर्फ जकरी पुत्र मो0 फसी	के0का0वाराणसी	जि0का0बाराबंकी
2	आदर्श मिश्रा उर्फ सलोने पुत्र श्री घनश्याम मिश्र	के0का0वाराणसी	जि0का0गोरखपुर
3	मुकेश यादव पुत्र श्री रंगीलाल यादव	के0का0वाराणसी	जि0का0सीतापुर
4	मुन्ना पुत्र श्री कल्लू घोसी	के0का0वाराणसी	जि0का0बस्ती
5	उस्मान उल हक पुत्र श्री रिजवान उल हक	के0का0वाराणसी	के0का0फतेहगढ़

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्याशासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या:98/2018/1984जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी/बाराबंकी/गोरखपुर/सीतापुर/बस्ती/फर्रूखाबाद।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी/गोरखपुर एवं पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी/सीतापुर/बस्ती/फर्रूखाबाद।
5. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी/फतेहगढ़।
6. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर/बस्ती एवं अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी/सीतापुर।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in